

1/160672/2022

संख्या-882/81-2-2022-800(13)/2022

प्रेषक,

आशीष तिवारी

सचिव

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

उप वन महानिरीक्षक (केन्द्रीय)

भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,

क्षेत्रीय कार्यालय मध्य क्षेत्र, अलीगंज, लखनऊ।

पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2 लखनऊ, दिनांक 29 अप्रैल, 2022

विषय- जनपद पीलीभीत में राष्ट्रीय रूढ़ता-पीलीभीत सेक्शन के 731K किमी² 137.250 से 183.380 (पैकेज-IV) के निर्माण कार्य में प्रभावित 44.376 हे० संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं बाधक 26427 वृक्षों के पातन/ट्रान्सप्लान्ट की अनुमति के सम्बन्ध में। (प्रस्ताव संख्या-एफपी/यूपी/रोड/49626/2020)

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने पत्र संख्या-8 बी/यूपी/06/29/2022/एफसी/785 दिनांक 31.03.2022 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके माध्यम से विषयगत प्रकरण में कतिपय आपत्तियों की गई थी। तत्क्रम में मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ०प्र० लखनऊ के पत्र संख्या-3033/11-सी/एफपी/यूपी/रोड/49626/2020 दिनांक 26.04.2022 द्वारा आपत्तियों का निराकरण करते हुए संशोधित सूचना/आख्या शासन को उपलब्ध कराया गई है।

2- अतएवं मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ०प्र० लखनऊ के पत्र दिनांक 26.04.2022 द्वारा उपलब्ध करायी गई सूचना/आख्या की प्रति प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया विषयगत प्रकरण वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत अग्रेतर कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

संलग्नक यथोक्त।

Signed by आशीष तिवारी

भवदीय,

Date: 28-04-2022 16:18:07

(आशीष तिवारी)

Reason: Approved

सचिव

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ०प्र० लखनऊ।
2. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आर० पी० सिंह)

अनु सचिव